02 07/25

वकील वादी प्रार्थी वजूलखां फारूकखां
उपस्थित/अनुपस्थित/थोड़ा गाजूसीन
अधिवक्ता ने कहा केस पर पधारे हैं
पर है। अतः पत्रावली वास्ते ..... Yal.
दिनांक 22/8/25 उप खण्ड अधिकारी

23/07/25 आज यह पत्रावली रिपोर्ट तहसीलदार भुसावर प्राप्त होने पर पेश हुई हमने वकील प्रार्थी को सुना गया उन्होंने अवगत कराया कि आ.ख.नं. 527 रकबा 0.52, 560 रकबा 0.80, 561 रकबा 0.01, 562 रकबा 0.38 वाले ग्राम अतरामपुरा तह. भुसावर उक्त आराजी प्रार्थीगण के पिता द्वारा छोड़ी गई आराजी है पिता की मृत्यु होने पर विरासत का दाखिला करते समय प्रार्थी के पिता का नाम फतेसिंह पुत्र चन्दराम गलत दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी के पिता का नाम सही फतेहसिंह पुत्र पाडवाम सही था। अतः नाम शुद्ध करने बाबत निवेदन किया गया है।

हमने बहस प्रार्थी अधिवक्ता की सुनी गई तथा पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड एवं तहसील रिकार्ड का अध्ययन किया गया जिसके आधार पर हम प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भुसावर को रिपोर्ट दर्ज किया जाता है कि आ.ख.नं. 527, 560, 561, 562, वाले ग्राम अतरामपुरा तह. भुसावर की आराजी में प्रार्थीगण के पिता का नाम फतेसिंह को दुरुस्त कर फतेहसिंह राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०